:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार

1. श्रीराजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपुर
प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. लालसिंह चौहान जाति राजपुत उम्र बालीग निवासी झरनी तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

विपक्षी

:: **निर्णय** :: **दिनांक 04/08/2021**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र पेश कर परमपरागत रास्ता रिकार्ड में दर्ज कराने निवेदन किया कि:– प्रार्थी की खातेदारी भूमि गॉव झरनी के खसरा सख्या 239 तक पहुच हेतु खसरा सख्या 243 से वर्षो से आवाजाही करता है कृषि साधन लाता है ले जाता है।

प्रार्थी का प्रार्थनपत्र वास्ते जॉच आवश्यक रिपोर्ट हेतु तहसीलदार तहसील सीमलवाडा को भेजा गया। तहसीलदार तहसील सीमलवाडा द्वारा पटवारी से रिपोर्ट तैयार करा अनुशषा की:– प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136, राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 एवं राज सरकार राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र कमांक प (3) (2) राज –6/2003 पार्ट/4 दिनांक 10/08/2016 के अनुसरण में रास्ते सम्बधीत समस्याओं का निस्तारण बाबत् निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट पेश की है कि:– खातेदार किर्तन अरविन्द, कंचन, गोतम वगैरा की खातेदारी भूमि, गॉव झरनी के खसरा सख्या 243 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म सु.द्वि में से 13 फीट गुणीत 60 फीट कुल 780 वर्गफीट अर्थात 0.0072 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। जो राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुच के परम्परागत रास्ते का रिकार्ड में इन्द्राज होने से रास्ते सबधी विवाद का स्थाई निपटारा हो जावे।

अतः गॉव झरनी के खसरा सख्या 243 का कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर किस्म सु.द्वि में से 13 फीट गुणीत 60 फीट कुल 780 वर्गफीट अर्थात 0.0072 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। सलग्न नक्षे अनुसार नक्षे में रास्ते की तरमीम की जावे।

आज दिनांक 04/08/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट 4/8/21
सीमलवाड़ा